


FORM OF CHANGE OF NOMINATION

Policy No.....

(For instruction Re : Execution of a Nomination see below)

I..... hereby nominate.....
 (name) my (relationship) aged..... years and whose address is.....
 to be the person to whom the moneys secured by the within Policy shall
 be paid in the event of my death in lieu of.....
 named in the text of the within Policy/** endorsement on the within policy
 dated at..... the..... day of..... 20.....
 Dated..... the..... day of..... 20.....

WITNESS

Signature.....
 Full Name.....
 Designation.....
 Address

Signature of Life Assured
 Address

*Here mention relationship and full name of the nominee you wish to nominate now.

** Strike out the words not applicable.

FORM OF NOTICE OF CHANGE OF NOMINAION

The Sr. Branch Manager,
 Life Insurance Corporation of India
 Branch Unit No.

Place.....

Date.....

Dear Sir,

Policy No..... Own Life

I hereby give you notice that I have now nominated as
 the person to whom the moneys secured by the above Policy shall be paid in the event of my death, vide endorsement
 on the enclosed Policy/enclosed will in lieu of named
 of text of the above Policy / * endorsement dated..... on the above Policy.

Yours faithfully

(Signature of Life Assured)

* Strike out the words not applicable.

Address.....

INSTRUCTIONS

1. Life Assured can at any time before his Policy matures for payment change a previous Nomination by an endorsement on the back of the Policy or by a will.
2. If the change is to be effected by an endorsement on the Policy, the Assured should copy out the form printed above on the back of the Policy after making in the Form such alteration as may be necessary, and fill in the particulars required. He must thereafter affix his signature to the endorsement in the presence of a witness. If the Assured be not conversant with English he/she should sign the endorsement before an English knowing witness and if he/she be illiterate he/she must affix his/her, thumb impression to the endorsement before a Magistrate, a Justice of the peace, a Gazetted Officer, a Class 1 Officer of the Corporation or a Development Officer of the Corporation, with at least 5 years service provided he/she is fully satisfied about the identity of person executing the endorsement, in such case the witness should certify as follows : -
 "Certify that the contents of the change of Nomination were explained by me to the Assured Shri..... in vernacular and that he affixed his Signature/thumb impression there to in my presence after thoroughly understanding the same".
3. Immediately after a change in nomination has been made either by an endorsement on the Policy or by a will, notice thereof in writing preferably in the form appended to the form of change of nomination should be forwarded to the Branch Office of the Corporation through which the Policy was issued for registration of change of nomination accompanied by the Policy or the will as the case may be. If no such notice is given, the Corporation will not be liable for any payment under the Policy made to bona fide nominee mentioned in the text of the policy or registered in its records.
4. If the nominee be a minor, it is advisable to appoint in the manner prescribed by the Insurance Act an Appointee, to receive the money secured by the Policy in the event of the Assured's death during the minority of the nominee. A form of a appointment of Appointee with instruction can be had from the Corporation on application.

नामन में परिवर्तन का प्रपत्र

(नामन में परिवर्तन हेतु क्रियान्वयन निर्देश नीचे देखिए)

मैं..... एतद् द्वारा दिनांक..... को जारी की गयी पाठ सं.....
 अन्तर्गत नामित/स्थान..... में दिनांक..... को उक्त पालिसी पर पृष्ठांकन*
 द्वारा नामित श्री..... के स्थान पर अपने*..... (संबंध) श्री/श्रीमती..... (नाम)
 (आयु) जिसका पता है.....
 को नामित करता हूं जिन्हें मेरी मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन का भुगतान कर दिया जाये।
 द्वारा..... दिनांक.....

साक्षी :	(बीमेदार के हस्ताक्षर)
हस्ताक्षर.....	पता.....
हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पद.....
पता.....

*यहा नामित व्यक्ति जिसे आप नियक्त करना चाहते हैं का पूरा नाम तथा सम्बन्ध लिखिये।

**जो शब्द लाग ना हो काट दीजिए।

चामन में परिवर्तन की सचिना का प्रपत्र

वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक

भारतीय जीवन बीमा निगम

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं एतद् द्वारा आपको सूचित करता हूं कि मैंने अब उक्त पालिसी के अन्तर्गत नामित उपरोक्त पालिसी पर दिनांकके पृष्ठांकन द्वारा नामित श्री/श्रीमति.....के स्थान पर अब श्री/श्रीमति.....नामांकन दिनांक.....को संलग्न पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा संलग्न इच्छापत्र द्वारा कर दिया है, जिन्हे मेरी मृत्यु हो जाने की दशा मे उक्त पालिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन का भगतान कर दिया जाए।

भवदीय

*जो लाग न हो उसे काट दें।

(ब्रीमेदार के हस्ताक्षर)

पता

आवश्यक निर्देश

- पालिसी के भुगतान के लिए यूर्णाविधि प्राप्त होने से पूर्व किसी भी समय बीमेदार पालिसी के पिछले पृष्ठ पर पृष्ठांकन अथवा एक इच्छा पत्र द्वारा पहले किये हुये नामन में परिवर्तन कर सकता है।
- यदि नामन में परिवर्तन, पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा प्रभावी किया जाता है तो बीमेदार को चाहिए कि वह पीछे की ओर छपे हुए प्रपत्र आवश्यक परिवर्तन तथा सभी प्रविष्टियों की पूर्ति के पश्चात पालिसी के पिछले पृष्ठ पर उसकी नकल उतार लें। तत्पश्चात् उक्त पृष्ठांकन पर उसकी साक्षी की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए और यदि वह निरक्षर है तो उस पृष्ठांकन पर किसी मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ पीस, राजपत्रित अधिकारी, निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारी अथवा निगम के ऐसे विकास अधिकारी जो कम से कम 5 वर्ष से निगम की सेवा में हो और पृष्ठांकन करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो, के समक्ष अपना बायां दायां अंगूठा निशान लगाना चाहिए। ऐसे मामले में साक्षी को निम्न प्रकार से प्रमाणित करना चाहिए।

“प्रमाणित किया जाता है कि नामन में परिवर्तन सम्बन्धी समस्त विवरण बीमेदार को उसकी भाषा में मैंने समझा दिया है और उसने इसकी भली-भांति समझने के पश्चात् ही मेरी उपस्थिति में उन पर अपना हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किया/लगाया है।”
- नामन में परिवर्तन चाहे पालिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया' गया हो अथवा इच्छा पत्र द्वारा परिवर्तन के तुरंत बाद उसकी सूचना, लिखित रूप में (अच्छा होगा यदि सूचना नामन के परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्र हो) पालिसी पर दिये पृष्ठांकन अथवा इच्छा-पत्र सहित, नामन के पंजीयन हेतु निगम के बीमा सेवा उपलब्धकर्ता कार्यालय को भेज देना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई सूचना निगम को नहीं दी जायेगी तो उक्त पालिसी के अन्तर्गत पालिसी के प्रकरण में वर्णित अथवा पालिसी के अभिलेखों में पंजीकृत नामित व्यक्ति को किसी प्रकार का भुगतान न हो जाने पर निगम उत्तरदायी होगा।
- यदि नामित व्यक्ति नाबालिग है, तो यह परामर्श दिया जाता है कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहते बीमादार की मृत्यु हो जाने पर पालिसी धन को प्राप्त करने के लिए बीमा अधिनियम द्वारा निर्धारित रीति अनुसार किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति प्रपत्र निगम के कार्यालय में आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है।